

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 602(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) (जांच) तृतीय संशोधन नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा।
(ii) ये नियम 24.12.2012 को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:-

"अनुसूची-II-भाग क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों" में, तालिका में, प्रथम कॉलम में "मणिपुर-त्रिपुरा" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिसंस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"मणिपुर

सरकार के मुख्य सचिव	80,000/- रुपए (नियत)
सरकार के अपर मुख्य सचिव	80,000/- रुपए (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	एच.ए.जी.- वेतनमान 67,000/- रुपए (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%) 79,000/-
सरकार के सचिव	वेतन बैंड 4+ ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए

आवासीय आयुक्त-	वेतन बैंड 4+ ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए
महानिदेशक, राज्य प्रशिक्षण अकादमी	वेतन बैंड 4+ ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए
राज्यपाल के सचिव	वेतन बैंड 4+ ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए
मुख्यमंत्री के सचिव	वेतन बैंड 4+ ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए
सचिव, लोक सेवा आयोग	वेतन बैंड 4+ ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए
आयुक्त, विभागीय जांच	वेतन बैंड 4+ ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए

(ख) "अनुसूची-II-भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष अर्हते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनीक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में "मणिपुर-त्रिपुरा" शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

विशेष/अपर/संयुक्त/उप सचिव
उपायुक्त
उत्पाद शुल्क आयुक्त
कर आयुक्त
सतर्कता निदेशक
निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
पंजीयक, सहकारी समिति
निदेशक, बंदोबस्त एवं भू अभिलेख
निदेशक, पर्यटन
निदेशक, सूचना और लोक संबंध
निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग
निदेशक, परिवहन
निदेशक, जनजातीय विकास एवं पिछड़ी श्रेणी
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास
निदेशक, युवा मामले एवं खेल
निदेशक, उच्च शिक्षा
निदेशक, स्कूल शिक्षा

[सं. 11031/03/2013-अ.भा.से.-II(ख)]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

पाद टिप्पणी :

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 20.3.2008 की सा.का.नि. सं. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123 (अ) दिनांक 15.04.2009, सा.का.नि. सं. 542(अ) दिनांक 21.07.2009, सा.का.नि. सं. 572(अ) दिनांक 13.08.2009, सा.का.नि. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, सा.का.नि. सं. 72 (अ) दिनांक 10.02.2010, सा.का.नि. सं. 102(अ) दिनांक 25.02.2010, सा.का.नि. सं. 191 (अ) दिनांक 12.03.2010 एवं सा.का.नि. सं. 298(अ) दिनांक 08.4.2010, सा.का.नि. सं. 397(अ) दिनांक 11.5.2010, सा.का.नि. सं. 404(अ) दिनांक 13.05.2010, सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 17.05.2010, सा.का.नि. सं. 432(अ) दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 434(अ) दिनांक 20.5.2010, सा.का.नि. सं. 451(अ) दिनांक 26.05.2010, सा.का.नि. सं. 689(अ) दिनांक 19.08.2010, सा.का.नि. सं. 836(अ) दिनांक 13.10.2010, सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, और सा.का.नि. सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, सा.का.नि. सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 922(अ) दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 94(अ) दिनांक 16.2.2012, सा.का.नि. सं.

115(अ) दिनांक 28.03.2012, सा.का.नि. सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012, और सा.का.नि. सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012, सा.का.नि. सं. 55(अ) दिनांक 30.01.2013 द्वारा संशोधित किए गए ।